अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

विकास के लिए पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों का उन्नयन एवं प्रशिक्षण (उस्ताद)

आमंत्रण सूचना–2020–21

परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियो को पैनल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय **विकास के लिए पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों का उन्नयन एवं प्रशिक्षण (उस्ताद)** के अधीन वर्ष 2020-21 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए पैनल में शामिल किए जाने हेतु पात्र संगठनों/संस्थानों से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करता है। उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारम्परिक कलाओं और शिल्पों की विरासत को संरक्षित करना और पारम्परिक शिल्पकारों और दस्तकारों की क्षमता का निर्माण करना तथा बाजार लिंकेज स्थापित करना है। आरएफपी दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in और उस्ताद योजना पोर्टल http://usttad.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं जिनमें सूचनात्मक पारम्परिक कलाओं/शिल्पों की सूची दी गई है।

निम्नलिखित पात्र संगठन आवेदन कर सकते हैं :-

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन कम से कम 3 साल से पंजीकृत सोसायटियां और जिनका स्थापित बाजार लिंकेज के साथ ऐसे पारंपरिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों को आयोजित करने का अनुभव हो।
- कोई प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान जो स्थापित बाजार लिंकेज के साथ कम से कम पिछले तीन साल से ऐसे पारम्परिक कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित कर रहा हो।
- कोई उद्योग या उद्योगों का संघ जो योजना के वित्तीय मापदंडों के अनुसार एक उपयुक्त योजना के साथ ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र चलाने का इच्छुक हो।
- विश्वद्यिालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्र / राज्य सरकारों का कोई संस्थान और पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान जिनमें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की क्षमता हो।

1. संगठनों/संस्थानों को नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
2. प्रस्ताव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के उस्ताद पोर्टल http://usttad.minorityaffairs.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध किए जाने चाहिए।
3. पीआईए का चयन उनके द्वारा उपलब्ध की गई सूचना/दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी पीआईए द्वारा उपलब्ध सूचना/दस्तावेज किसी स्तर पर झूठे पाए जाते हैं तो ऐसी पीआईए का पैनलीकरण तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी पीआईए के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
4. **विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता मापदंड और प्रस्ताव प्रारूप www.minorityaffairs.gov.in और http://usttad.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।**
5. ऑनलाइन प्रस्ताव (मंत्रालय को विधिवत रूप से हस्ताक्षरित आवदेन प्रपत्र) को उपलब्ध करने की अंतिम तारीख 05.02.2021 को सायं 5.00 बजे तक है।

हस्ता/-
अवर सचिव (उस्ताद)

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

"विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों का उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद)"

वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावों हेतु अनुरोध (आरएफपी)

"विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों का उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद)" योजना के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को पैनल में शामिल करना

(दिनांक 14.01.2021)

ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करना शुरू होने की तारीख	15.01.2021
ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	05.02.2021

1. परिचय

भारत अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय अपने पारंपरिक कौशल, कला और शिल्प के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धी बाजार और वैश्वीकरण की ताकतों के कारण और मास्टर कारीगरों/दस्तकारों की बिगड़ती सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण, युवा पीढ़ी द्वारा इन कौशलों को अपनाया नहीं जा रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का दृढ़ विश्वास है कि इन कलाओं/शिल्पों विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कौशलों, कलाओं और शिल्पों को संरक्षित करने की जरूरत है। उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की विरासत को संरक्षित करना और पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना और वैश्विक बाजार के साथ पारंपरिक कौशल के संबंध स्थापित करना है।

इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषदों और इसी तरह के क्षेत्रों में अन्य प्रसिद्ध संगठनों/पेशेवरों को अल्पसंख्यक समुदायों के शिल्पकारों/कारीगरों के संवर्धन, क्षमता निर्माण और उन्नयन के लिए शामिल करेगा।

2. महत्वपूर्ण निर्देश

क. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2020-21 के दौरान "विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों का उन्नयन और प्रशिक्षण" के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए पात्र संगठनों/संस्थानों से निर्धारित प्ररूप में प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

ख. 2016-17 और 2018-19 के दौरान योजना के तहत जिन पीआईए को पैनल में शामिल किया गया है, उन्हें नया प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

ग. पाठ्यक्रमों की निर्देशात्मक सूची अनुबंध-III में संलग्न है। पीआईए किसी भी अन्य पाठ्यक्रमों/ट्रेडों का प्रस्ताव कर सकती है जो मांग में हैं और जिनमें रोजगार के अवसर हैं।

घ. यह योजना निम्नलिखित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी:

i. पंजीकृत संस्थान/संगठन जिन्हें को कम से कम पिछले तीन वर्षों से पारंपरिक कौशलों, कलाओं और शिल्पों में प्रशिक्षण के कार्यान्वयन की विशेषज्ञता/अनुभव है और उत्पादों/सेवाओं के अगले और पिछले संपर्कों के लिए बाजार के साथ संबंध स्थापित करना है।

ii. कोई भी उद्योग या उद्योगों का संघ जिसमें पारंपरिक कलाओं और शिल्पों में प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए वित्तीय क्षमता है,

और रियायती ऋण प्राप्त करने के लिए बाजार संबंध प्रदान करना/वित्तीय संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करना है।

iii. विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रीय/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों सहित पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केंद्र/राज्य सरकारों का कोई भी संस्थान जिसके पास ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की क्षमता हो।

ङ. वरीयता उन संगठनों को दी जाएगी:

i. पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण में समान कार्य का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन संगठनों ने केंद्रीय/राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के तहत किसी भी पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण के कार्य/मंजूरी आदेश को निष्पादित किया है, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उद्यम, स्वायत्त/अधीनस्थ संगठन शामिल हैं, जो केंद्रीय/ राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के अधीन हैं, न्यूनतम परियोजना के एकल अनुमोदन आदेश के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान 50.00 लाख रु. की लागत या 30.00 लाख रु. की परियोजना लागत के दो अनुमोदन आदेशों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. जिनके पास राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार से सम्मानित मास्टर शिल्पकार हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी।

iii. जो देश के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यकों में प्रचलित मंद पड़ रही कलाओं/शिल्पों में कौशल प्रशिक्षण का प्रस्ताव दे।

च. संस्थानों/संगठनों को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।

छ. पीआईए को सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के उस्ताद पोर्टल http://usttad.minorityaffairs.gov.in पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रस्ताव पर संस्थान/संगठन के अध्यक्ष/सचिव/सीईओ/प्रमुख के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिएं। ऑनलाइन जमा किए गए अधूरे फॉर्मों को बिना किसी सूचना के खारिज कर दिया जाएगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद किसी भी पूरक दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

ज. अंतिम चयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयी स्क्रीनिंग समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुति पर आधारित है।

झ. विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता मानदंड और प्रस्ताव प्रारूप www.minorityaffairs.gov.in और http://usttad.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

i. पीआईए को पहली किस्त जारी होने से पहले बैंक गारंटी (पहली किस्त के 5% तक की राशि) प्रस्तुत करना होगा।

ii. उस्ताद पोर्टल के साथ अपेक्षित तंत्र के एकीकरण के बाद प्रशिक्षार्थियों को वजीफा सीधे मंत्रालय द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस बीच, पीआईए द्वारा पीएफएमएस में डीबीटी विंडो के माध्यम से वजीफे का भुगतान किया जाएगा।

iii. पीआईए को प्रशिक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को बनाए रखने और मंत्रालय को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

iv. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीआईए के बीच प्रशिक्षार्थियों का कोई डुप्लीकेशन न हो। इस संबंध में पीआईए को वचन-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

v. पीआईए को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा। पीआईए को कोर्स की समाप्ति तिथि के 03 महीने के भीतर तीसरी किस्त के प्रस्ताव के साथ पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके न होने पर जारी धनराशि के 50% की वसूली अन्य ऐसी कार्रवाई जो उपयुक्त समझी जाएं के साथ शुरू की जाएगी।

vi. पहली किस्त (अर्थात परियोजना लागत का 30%) (क) परियोजना के अनुमोदन और प्रशिक्षण की शुरूआत, (ख) राज्य सरकार की निरीक्षण रिपोर्ट/ मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा प्राप्त होने, (ग) पीआईए द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने, (घ) पीआईए और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने और (ङ) 20/- रु. के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर विधिवत नोटरीकृत बॉन्ड जमा करने के बाद जारी की जाएगी।

ञ. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के उस्ताद पोर्टल http://usttad.minorityaffairs.gov.in पर प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ट. ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि (मंत्रालय में विधिवत रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र) 05.02.2021 को 5:00 बजे तक है।

ठ. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी बाध्यता या दायित्व के बिना, प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, प्रक्रिया या उसके किसी भी हिस्से को रद्द या संशोधित करने या किसी भी शर्तों या निबंधन को परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ड. पीआईए का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं/दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी भी पीआईए द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेज किसी भी स्तर पर झूठे पाए जाते हैं, तो ऐसे पीआईए का पैनलीकरण तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे पीआईए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ढ. मंत्रालय उस्ताद योजना की आवश्यकता के अनुसार कोई भी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है।

ण. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए, संगठन मंत्रालय की हेल्पलाइन - 1800-11-2001 (टोल फ्री) पर 9:00 बजे से 5:00 बजे के बीच कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) पर संपर्क कर सकते हैं।

त. जो लोग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए किसी भी कठिनाइयों/मुद्दों का सामना कर रहे हैं, कृपया support-usttad@gov.in. पर प्रश्न/कोई तकनीकी सहायता भेज सकते हैं।

हस्त./-
अवर सचिव

प्रस्ताव प्रारूप

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

2020-21 के दौरान "उस्ताद" के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के पैनल के लिए प्रस्ताव

1. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का विवरण (इसके बाद संगठन):

क्र. सं.	**विवरण**	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भरी जाने वाली सूचना**
1	पीआईए का नाम	(पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार)
2	कानूनी स्थिति (पंजीकृत सोसाइटी/सरकारी/अर्ध-सरकारी/पब्लिक सेक्टर/गैर सरकारी संगठन/स्वायत्त निकाय आदि)	(एजेंसी का निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3	पीआईए की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख	वैध पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकरण की तिथि (कृपया मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक सुपाठ्य प्रतिलिपि संलग्न करें। यदि वह अन्य भाषा में है, तो इसे हिंदी या अंग्रेजी में अनूदित होना चाहिए और नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
4	पीआईए का पैन कार्ड नंबर	(पैन कार्ड की कॉपी जमा करें)
5	नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पर पोर्टल द्वारा प्रदान की गई पीआईए की विशिष्ट आईडी (अनिवार्य)	
6	पीआईए का पंजीकृत/प्रमुख कार्यालय का पता	
7	संगठन के अध्यक्ष/सीईओ/निदेशक(ओं)/अध्यक्ष/ प्रमुख का नाम	
8	पीआईए की वेबसाइट का पता	
9	टेलीफोन/मोबाइल	
10	ईमेल आईडी	

A. संगठन विवरण:

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त पोषित पारंपरिक कला/शिल्पों के लिए कौशल विकास परियोजनाओं का विवरण जिनका कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) ने किया था। मंजूरी के आदेशों की प्रति संलग्न करें:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	मंत्रालय/ विभाग का नाम जो वित्त पोषण कर रहा है	परियोजना का स्थान (जिला और राज्य)। यदि अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/ शहर में है तो कृपया एमसीडी/एमसीबी/ एमसीटी भी इंगित करें	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या			कुल प्रशिक्षितों में से अल्पसंख्यक प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल परि योजना लागत	पारंपरिक कला/ शिल्प का नाम जिसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है	आकलन करने/ प्रमाणित करने वाली एजेंसी का नाम	सहायक दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या
				बालक	बालिका	कुल					

2. **पारंपरिक कला/शिल्प के लिए कौशल विकास परियोजनाओं का विवरण विशेष रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्त पोषित और पिछले तीन वर्षों के दौरान पीआईए द्वारा कार्यान्वित किया गया। मंजूरी के आदेशों की प्रति संलग्न करें:**

क्र. सं.	वित्त वर्ष	मंत्रालय/ विभाग का नाम जो वित्त पोषण कर रहा है	परियोजना का स्थान (जिला और राज्य)। यदि अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/ शहर में है तो कृपया एमसीडी/एमसीबी/ एमसीटी भी इंगित करें	प्रशिक्षुओं की संख्या प्रशिक्षित			कुल प्रशिक्षितों में से अल्पसंख्यक प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल परि योजना लागत	पारंपरिक कला/ शिल्प का नाम जिसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है	आकलन करने/ प्रमाणित करने वाली एजेंसी का नाम	सहायक दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या
				बालक	बालिका	कुल					

नोट: एक स्वीकृति आदेश को एक परियोजना के रूप में माना जाएगा।

3. संगठन द्वारा लगे मास्टर शिल्पकारों की शाखा या केंद्र-वार सूची (कृपया प्रत्येक केंद्र के लिए अलग-अलग तालिकाएँ दें):

क्र. सं.	मास्टर शिल्पकारों का नाम	पुरुष/ महिला	कला/ शिल्प के क्षेत्र	क्या अल्पसंख्यक समुदाय का है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो समुदाय का नाम बताएं	पारंपरिक कौशल में अनुभव (वर्षों में)	समूहों और जिले का नाम जहां से/ वह है	क्या राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार विजेता है तब नाम और पुरस्कार का वर्ष। कोई अन्य पुरस्कार / मान्यताएं। पुरस्कार, पुरस्कार की श्रेणी, योजना का विवरण दें	किसी भी अन्य पेशेवर प्रशिक्षण या कौशल का उन्नयन जो इस मास्टर शिल्पकार को दिए गए	सहायक दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या

4. पिछले तीन वर्षों में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के निर्माण में अनुभव का विवरण:

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	संगठन द्वारा गठित एसएचजी का नाम	गठन का वर्ष	एसएचजी द्वारा प्रचलित पारंपरिक कला / शिल्प	एसएचजी में शामिल समुदाय	क्या वर्तमान में क्रियाशील है (हां/नहीं)	एसएचजी के बैंक का नाम	खाता क्रमांक एसएचजी की	एसएचजी की वार्षिक निबल आय (रु. में)	सहायक दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या

5. क्या संगठन ने कभी पारंपरिक कला/शिल्प के लिए प्रचार प्रदर्शनियों या विपणन कार्यक्रम में भाग लिया है:

क्र. सं.	वर्ष	प्रोग्राम का नाम	फंडिंग एजेंसी का नाम	परियोजना की कुल लागत	कवर किए गए कला/ शिल्प के नाम	इसमें शामिल कारीगरों/शिल्पकारों की संख्या	घटना का स्थान (जिला और राज्य)	सहायक दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या

6. मास्टर कारीगर के अधीन नौकरी प्रशिक्षण पर अप्रेंटिसशिप:

प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	कौशल जिसमें प्रशिक्षित	किस मास्टर कारीगर द्वारा प्रशिक्षित	क्या वर्तमान में कोई प्रशिक्षण के अधीन है या नहीं	क्या पहले प्रशिक्षित मास्टर शिल्पकार ने कोई व्यापार शुरू किया है।

7. रिटेलरों या ई-कॉमर्स पोर्टलों की संख्या जिनके साथ पीआईए ने बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए माल की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

क्र.सं.	रिटेलर्स/ई-कॉमर्स पोर्टल का नाम	हेड ऑफिस रिटेलर्स/ई-कॉमर्स पोर्टल का पता	एमओयू पर हस्ताक्षर और वैधता की अवधि	एमओयू का उद्देश्य	सहायक दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या

8. पीआईए की शाखाओं/केंद्रों की सूची -

क्र.सं.	केंद्र का पूरा पता	केंद्र प्रमुख का नाम	संपर्क विवरण (मोबाइल/फोन नंबर)	प्रशिक्षण अवसंरचना उपलब्ध है (पाठ्यक्रमों/ट्रेडों के नाम)	प्रशिक्षक का नाम

9. सीए प्रमाण पत्र के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए परीक्षित लेखा (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ) संलग्न: हां/नहीं

10. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन/कंपनी का नियम/संगठन के नियम एवं विनियम:

11. क्या संगठन की अपनी वेबसाइट है: हां/नहीं
यदि हाँ, तो कृपया वेबसाइट का पता दें और होम पेज की एक प्रति संलग्न करें।

12. वित्तीय विवरण: (अनुबंध-I देखें)

13. गैर-ब्लैकलिस्टिंग के लिए वचनपत्र: (अनुबंध-II देखें)।

ख. प्रस्ताव:

1. उस्ताद प्रशिक्षण और केंद्र के राज्य, जिला और ब्लॉक के नामों के लिए पीआईए द्वारा प्रस्तावित कला/शिल्प।

क्र. सं.	प्रस्तावित कला/शिल्प	प्रशिक्षुओं की प्रस्तावित संख्या	प्रशिक्षण अवधि	केंद्र का प्रस्तावित राज्य	केंद्र का प्रस्तावित जिला	केंद्र का प्रस्तावित ब्लॉक	प्रस्तावित कला/शिल्प के लिए पाठ्यक्रम/सत्र योजना/पाठ्यक्रम सामग्री पर एक लेख (उपरोक्त प्रत्येक के लिए एक अलग शीट संलग्न करें)	सहायक दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या

अनुबंध-I

पीआईए का वित्तीय विवरण

(तिथि, हस्ताक्षर, पंजीकरण संख्या और मुहर के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट के पत्र शीर्ष पर)

यह प्रमाणित है कि (_____ पीआईए का नाम _____) के पास अपना पंजीकृत कार्यालय है (_____ पता _____) में पिछले तीन वर्षों में ₹ _____ लाख का औसत कारोबार है (2017-18, 2018-19, 2019-20)। एजेंसी के वार्षिक टर्नओवर निम्नानुसार हैं -

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (आईएनआर)
1	2017-18	
2	2018-19	
3	2019-20	

(पिछले तीन वर्षों से एजेंसी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न हैं)

स्वयं और उनकी तरफ से: _____

चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पंजीकरण सं.:_____

मोहर: _____

दिनांक: _____

जगह: _____

अनुबंध-II

(₹ 100/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

<u>वचनपत्र</u>

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स _____ _____ आज तक भारत सरकार या उसके उपक्रमों/किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के या इसके उपक्रम या कोई अन्य भारत सरकार और राज्य सरकार की फंडिंग एजेंसियां/नियामक प्राधिकारी द्वारा ब्लैक लिस्टेड/डिबार नहीं किया गया है।

तत्पश्चात किसी भी समय इस स्थिति में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में मैसर्स _____ तुरंत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित करेंगे।

दिनांक: __/___/_____

जगह: _____

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम: _____

पद: _____

सील: _____

अनुबंध-III

कला / शिल्प की सांकेतिक सूची			
क्र. सं..	**कला/शिल्प का नाम**	**क्र. सं.**	**कला/शिल्प का नाम**
1	टोकरीसाजी	34	का-बुद्धिस्ट फिगारीन - धातु कास्टिंग
2	पोत का कारचोबी	35	कच्छी कढ़ाई
3	बीट बनाना - वल्लम	36	कानी शाल बुनाई
4	बीटेन सिल्वर वर्क	37	काशीदाकारी
5	बांधनी-टाई रेसिस्ट डयिंग	38	किताबत
6	बीद्री वर्क	39	पतंग बनाना
7	ब्लू पॉटरी	40	क्रोशेट और लेस
8	हड्डी पर नक्काशी	41	तिल्ला जूती (चमड़ा शिल्प)
9	ब्रास मोपरवेयर	42	हस्तनिर्मित कागज उत्पाद
10	पीतल के गहने	43	मीनाकारी
11	पीतल का प्रतिक	44	कोल्हापुरी चप्पल
12	ब्रांस कटिंग	45	कुंदन ज्वैलरी
13	कैमेल ट्रॉप्पिंग	46	लाख चूड़ियाँ (लौहार, गिरि)
14	चंदेरी साड़ी बुनाई	47	लाख उत्पाद
15	चिकनकरी	48	लेहेरिया
16	चिक बनाना	49	मधुबनी चित्रकला
17	चोकसेटेबल्स - घुमावदार फर्नीचर	50	माहेश्वरी
18	चम्बा पेंटिंग	51	धातु का काम कढ़ाई
19	कोकोनट शेल काविंग	52	मेटलवेयर - ढोलीवा
20	कॉपर वेयर	53	मोकइश
21	क्रूवल वर्क	54	मुंज शिल्प
22	लकड़ी का घुमावदार फर्नीचर	55	मैसूर पेंटिंग
23	डब्बू प्रिंटिंग	56	नागगुशी - उत्कीर्णन
24	ढोकरा- मोम की धातु की से कास्टिंग	57	नमदा-फेल्ट रग्स मेकिंग
25	गुड़िया बनाना	58	पाबोला बुनाई
26	इयूरिन मेकिंग	59	ताड़ का पत्ता काम
27	एरी सिल्क स्पिनिंग	60	पैच वर्क
28	गब्बा और नमदा	61	फुलकारी
29	गंबिरा मास्क	62	ढेर कालीन
30	गनिया कार्ड	63	पारसी गारा
31	मणि और आभूषण	64	रजाई
32	हाथ से बने ताले (अलीगढ़)	65	ईख शिल्प
33	नकली गहने	66	चंदन पर नक्काशी

कला / शिल्प की सांकेतिक सूची			
क्र. सं..	**कला/शिल्प का नाम**	**क्र. सं.**	**कला/शिल्प का नाम**
67	सरकंडा का काम	78	तिब्बती कालीन
68	शीतलपति रीडमेट्स	79	पारंपरिक जूते - टीला जूती
69	शेल क्रॉफ्ट	80	वारली पेंटिंग
70	सिक्की क्राफ्ट	81	लकड़ी का जड़ना
71	चाँदी का काम	82	होशियारपुर की लकड़ी का काम
72	सोजनी काम	83	ऊनी ढेर रग
73	सौदोगई प्रिंटिंग	84	ऊनी दवाएँ
74	पत्थर का जड़ना	85	लकड़ी का शिल्प
75	तन्खा (बौद्ध शिल्प)	86	पारंपरिक करघे जैसे मखला, शॉल आदि के उत्पाद।
76	टेराकोटा	87	बेंत और बांस के उत्पाद
77	ठक्कर का नाम	88	बाजार लिंकेज के साथ कोई अन्य पारंपरिक कला/शिल्प